UTTAR PRADESH SHASHAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1608/xxx-4-10-8(19)09, dated October 23, 2015

Notification

No.12/2015/1608/xxx-4-15-8(19)09TC
Lucknow: Dated October 23, 2015

In exercise of the powers under sub-section (1-A) of section 4 of the **Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997** (U.P. Act no. 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification no.2004/30-4-09-8(19)09, dated October 28, 2009 namely:-

AMENDMENT

In the aforesaid Notification after the existing second proviso, the following proviso shall be inserted namely;-

Provided further that in respect of Motor Vehicles, other than those which are more than five years old from the date of initial registration, as specified in the column (2) against serial no.1, instead of annual tax the option of one time tax shall be applicable exclusively:

Provided further that goods carriages as specified in column (2) against serial no.2 instead of annual tax the option of one time tax shall be applicable exclusively.

By Order

MOHD. AKHLAQ KHAN
Special Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन,
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-12/2015/1608/तीस-4-2015-8(19)/09टीसी
लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1997) की धारा-4 की उपधारा (1-क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-2004/तीस-4-09-08(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में विद्यमान द्वितीय परन्तुक के उपरान्त निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थात :-

परन्तु अग्रतर यह और कि क्रमांक-1 के सम्मुख स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे मोटरयानों से भिन्न मोटरयानों जिनकी अवधि प्रारम्भिक पंजीयन की तिथि से पॉच वर्ष से अधिक है, के संबंध में वार्षिक कर के स्थान पर एक बारीय कर अनन्य रूप से लागू होगा :

परन्तु यह भी कि क्रमांक-2 के सम्मुख स्तम्भ (2) में उल्लिखित यानों के संबंध में वार्षिक कर के स्थान पर एक बारीय कर अनन्य रूप से लागू होगा।

आज्ञा से,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉं
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2015/1608(1)/तीस-42015 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 23, अक्टूबर, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-12/2015/1608(2)/तीस-4-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।